

ekx l ; k 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

माध्यमिक शालाओं के अंशकालीन स्वीपर व आकस्मिकता निधि भृत्य के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सरकारी प्राथमिक शालाओं के अंशकालीन स्वीपर व आकस्मिकता निधि भृत्य के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

आश्रम और शालाओं के अंशकालीन स्वीपर व आकस्मिकता निधि भृत्य के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 31.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 5

विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 से 7

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

हाईस्कूल के अंशकालीन स्वीपर व आकस्मिकता निधि भृत्य के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 90.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालीन स्वीपर व आकस्मिकता निधि भृत्य के मजदूरी भुगतान हेतु ₹ 90.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

ef; 'k'k 2217

en Øekd 10 l s11

अमृत मिशन योजनांतर्गत ₹8455.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 84,55,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

ef; 'k'k 2401

मद क्रमांक 12

गोधन न्याय योजना हेतु ₹3000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

ef; 'k'k 2801

मद क्रमांक 13

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी के लिए ₹ 15918.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,59,18,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 14

नारायणपुर जिले के ओरछा में 200 सीटर आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु ₹ 450.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

1. 7 जिला अस्पतालों में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के परिवारजनों एवं आश्रितों हेतु ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के परिवारजनों एवं आश्रितों हेतु ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण हेतु ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजनों हेतु कुल ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।